

MONITORING


Supportive Supervision Vehicle Hiring Block wise information 2017-18, G.B. Nagar

S.No.	Name of Division	Name of District	Block Name	Vehicle No-1	Date of Hiring	Vehicle Alloted	Vehicle Stauts
1	Meerut	G.B. Nagar	Jewar	HR-55U/9037	01-04-17	MOIC/BPM	Working
2	Meerut	G.B. Nagar	Dankaur	UP-16DT/7894	01-04-17	MOIC/BPM	Working
3	Meerut	G.B. Nagar	Bisrakh	UP-16ET/2457	01-04-17	MOIC/BPM	Working
4	Meerut	G.B. Nagar	Dadri	UP-16ET/0942	01-04-17	MOIC/BPM	Working

Supportive Supervision Vehicle Hiring District Level information 2017-18, G.B. Nagar

S.No.	Name of District	No. of Vehicle Alloted	No. of Vehicle hired	Vehicle No-1	Date of Hiring	Vehicle Alloted	Vehicle Stauts
1	G.B. Nagar	G.B. Nagar		UP-16ET/3106	01-04-17	ACMO RCH	Working


 मुख्य चिकित्सा अधिकारी
 गौतम बुद्धनगर
 25.8.2017



प्रमाण पत्र का संग्रह

अनबन्ध पत्र

प्रमाण पत्र : मुख्य विकितरा अधिकारी, सदस्य सतिव, जिला रास्त्य समिति, जनपद गौतमबुद्धनगर
द्वितीय पत्र : मैरारा, तालान दूर एण्ड ट्रैवल्स, गोंत नवल गोपालगढ़, तहरील-जोवर जनपद
गौतमबुद्धनगर (सेवा प्रदाता)

यह अनुबन्ध मुख्य विकितरा अधिकारी, रादस्य सविव, जिला स्वारश्य समिति, जनपद गौतमबुद्धनगर का विवरण एवं अनुश्रवण व मूल्यांकन कार्य हेतु आज दिनांक 01.04.2017 को जनपद गौतमबुद्धनगर में संपादित किया गया। इस अनुबन्ध की अवधि दिनांक 01.04.2017 से दिनांक 31.03.2018 तक होगी।

- 1- द्वितीय पत्र प्रथम पत्र की ओर से जिला गौतमबुद्धनगर में प्राथमिक स्वारश्य केन्द्र, जोवर एवं दनकोर पर कार्य संचालित करने हेतु निम्न शर्तों के अधीन बाहर उपलब्ध करायेंगे।
 - क- सेवा प्रदाता को प्रथम पत्र की ओर से संबंधित केन्द्र के प्रभारी विकितरा अधिकारी द्वारा रूपये **24900/-** प्रतिमाह की दर से भुगतान किया जाएगा। माह में 25 दिवस (राजकीय अवकाशों को छोड़कर) से कम कार्य दिवस होने पर रु 1000/- प्रतिदिन की दर से भुगतान किया जाएगा।
 - ख- बाहन में गिम्लिखित सुविधा अनिवार्य होनी वाहिये।
 - बाहन टैकरी परमिट में पंजीकृत होना वाहिये।
 - बाहन अनुबन्ध की तिथि से पाँच वर्ष के पूर्ण तक का ही पंजीकृत होना वाहिये। इससे अधिक पुराना न हो।
 - बाहन में प्राथमिक उपचार किट होनी वाहिये।
 - बाहन में पैट्रोल/डीजल द्वितीय पत्र द्वारा भरवाया जाएगा।
 - दुर्घटना होने पर बाहन एवं अन्य किसी को किरी प्रकार की क्षति एवं उसकी धूति की रामरत जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की कॉम्प्रैंसिव इंश्योरेन्स के तहत मिलेगी।
 - ग- बाहन का पूर्ण बीमा, पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण पत्र आदि होना अनिवार्य है।
 - घ- बाहन के रास्तालन एवं रख-रखाव रावधी समस्त व्यय तथा जार्किंग शुल्क, टॉल टैक्स आदि द्वितीय पत्र द्वारा बहन किया जाएगा।
 - इ- बाहन को 24 घंटे चालू हालत में रखने एवं बाहन की साफ सफाई व आवश्यक रख-रखाव द्वितीय पत्र द्वारा किया जाएगा। नियमित जीव हेतु बाहन के टर्कशॉप भेजने की रियति में द्वितीय पत्र को अन्य वैकल्पिक बाहन उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पत्र द्वारा अनुबन्ध की शर्तों के अनुरूप सेवा प्रदान नहीं करने की रियति में प्रथम पत्र को रु 1000/- प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड अधिशंपित करने का अधिकार होगा।
- 2- कार्य के सफल रास्तालन हेतु बाहन चालकों का नाम तथा मोबाइल नंबर जिला मुख्यालय एवं राम्बन्धित केन्द्रों के

कार्यालय में प्रदर्शित कराया जाएगा।

क्रमांक 2 पर.....

11211

- 3- द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क करने हेतु उसे एक भोवाइल उपलब्ध करायेगा, जिससे स्वारथ्य इकाई के अधिकारी उसे समय-समय पर कार्य निष्पादन करने हेतु निर्देश दे सके। सेवा प्रदाता तथा वाहन चालकों को गोवाइल नम्बर दिया जाएगा, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उनसे राम्यक किया जा सके।
- 4- वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जाएगी एवं वाहन चालक के पास वैध ड्राईविंग लाईसेंस होगा अनिवार्य है, द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये गये वाहन चालक के लिये नियोक्ता द्वितीय पक्ष ही होगा, प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधित दायित्व नहीं होगा। द्वितीय पक्ष यह रुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करें। द्वितीय पक्ष का यह भी दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन का संचालन नहीं करें। ऐसा पाये जाने पर सुरक्षा निधि की राशि जब्त कर अनुबंध तत्काल प्रभाव से रामाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।
- 5- एजेंसी को आवंटित इकाई पर प्रातः 8.00 बजे केन्द्र पर वाहन उपलब्ध कराने एवं चिकित्सक दल को भ्रमण स्थल तक ले जाने एवं वापस लाना होगा। इसके लिये कोई समय सीमा निर्धारित नहीं होगी। द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भुगतान हेतु देयक निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण विवरण एवं लॉगबुक के साथ आगामी माह की 5 तारीख तक प्रस्तुत करने पर प्रथम पक्षकार द्वारा 10 दिवस के अन्दर अर्थात् 15 तारीख तक भुगतान करना रुनिश्चित किया जाएगा।
- 6- वाहन की छोटी गोटी फूट का तत्काल सुधारने की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को करनी होगी। बड़ी फूट भी 24 घंटे के अन्दर सुधार कराने या वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा।
- 7- किसी प्रकार का नुकसान होने की स्थिति में सम्पूर्ण वैधानिक दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। प्रथम पक्ष इसके लिये किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा।
- 8- विभिन्न रवारथ्य कार्यकर्ता/योजनाओं के प्रचार रामग्री एवं राहित्य आदि का परिवहन एवं प्रदर्शन विभाग के निर्देशों के अनुरूप करना होगा।
- 9- द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं के समय रामय पर निरीक्षण करने/जानकारी प्राप्त करने का अधिकारी प्रथम पक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को होगा।
- 10- अनुबंध के अन्वेषण में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा सम्बन्धित जनपद के न्यायालय में होगा तथा उनका निर्णय दोनों पक्षों को भान्य होगा।
- 11- द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा रातोष्जनक नहीं पाये जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकारी होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस संबंध में लिखित रपटीकरण माग सकता है एवं रपटीकरण का जवाब संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को पन्द्रह दिन की सूधना देकर अनुबंध समाप्त करने का अधिकारी होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।

स्थान: नौएडा, गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 01.04.2017

हरताक्षर (प्रथम पक्ष)

गवाह: 1. Dr. Kavita Deokar (ACMO)

Rsk

2. Rakesh Singh (Clerk)

हरताक्षर (द्वितीय पक्ष)

मैरास, तालान दूर एण्ड ट्रैवल्स,
गौतम नवल गोपालगढ़, तहसील- जेवर
गौतमबुद्धनगर

Talati Tour & Travels

Partnership

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

अनुबन्ध पत्र

प्रथम पक्ष
द्वितीय पक्ष

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव, जिला स्वारक्ष्य समिति, जनपद गौतमबुद्धनगर
मैसास, कृष्ण टूर एण्ड ट्रेनल्स, गौय कुलेरासा, रहसील रापर जनपद गौतमबुद्धनगर
(सेवा प्रयोग)

- यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव, जिला स्वारक्ष्य समिति, जनपद गौतमबुद्धनगर कार्यक्रम एवं अनुश्रवण व मूल्यांकन कार्य हेतु आज दिनांक ०१-०५-२०१७ को जनपद गौतमबुद्धनगर में संपादित किया गया। इस अनुबन्ध की अवधि दिनांक ०१-०६-२०१७ से दिनांक 31.03.2018 तक होगी।
1. द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष की ओर से जिला गौतमबुद्धनगर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, विसरख एवं वादरी स्पूर कार्य संचालित करने हेतु जिम्मा शर्तों को अधीन वाहन उपलब्ध करायेंगे।
- क. रोता प्रदाता को प्रथम पक्ष की ओर से रावंधित केन्द्र के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा रूपये 24995/- के रोता प्रदाता को प्रथम पक्ष की ओर से रावंधित केन्द्र के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा रूपये 24995/- प्रतिमाह की दर से भुगतान किया जाएगा। माह में 25 दिवस (राजकीय अवकाशों को छोड़कर) से कम कार्य दिवस होने पर ₹० 1000/- प्रतिदिन की दर से भुगतान किया जाएगा।
- ख. वाहन में जिम्मेदारियां अनिवार्य होनी चाहिये-
- वाहन टेकरी परमिट में पंजीकृत होना चाहिये।
 - वाहन अनुबन्ध की तिथि से पाँच वर्ष के पूर्व तक का ही पंजीकृत होना चाहिये, इससे अधिक पुराना न हो।
 - वाहन में प्राथमिक उपकार किट होनी चाहिये।
 - वाहन में पैट्रोल / डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जाएगा।
 - दुर्घटना होने पर वाहन एवं अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी पूर्ति की समरत जिम्मेदारी वीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की कॉम्प्रेहेन्सिव इन्श्योरेंस के तहत मिलेगी।
 - वाहन का पूर्ण वीमा, पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण पत्र आदि होना अनिवार्य है।
 - वाहन के संचालन एवं रख-रखाव संबंधी रामस्वरूप तथा पार्किंग शुल्क, टोल टैक्स आदि द्वितीय पक्ष द्वारा बहन किया जाएगा।
 - वाहन को 24 घंटे वातू हालत में रखने एवं वाहन की साफ-सफाई व आवश्यक रख-रखाव द्वितीय पक्ष द्वारा किया जाएगा। नियमित जॉय हेतु वाहन को वर्कशॉप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबंध की शर्तों के अनुरूप सेवा प्रदान नहीं करने की स्थिति में प्रथम पक्ष को ₹० 1000/- प्रतिदिन की दर से अर्थात् अधिरोपित करने का अधिकार होगा।
 - कार्य के सफल संचालन हेतु वाहन यातकों का नाम तथा मोबाइल नंबर जिला सुरक्षालय एवं सम्बन्धित केन्द्रों के कार्यालय में प्रदर्शित कराया जाएगा।
- 2- कार्य के सफल संचालन हेतु वाहन यातकों का नाम तथा मोबाइल नंबर जिला सुरक्षालय एवं सम्बन्धित केन्द्रों के कार्यालय में प्रदर्शित कराया जाएगा।

- 3- द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क करने हेतु उसे एक मोबाइल उपलब्ध करायेगा, जिससे रवास्थ्य इकाई के अधिकारी उसे समय-समय पर कायं निष्पादन करने हेतु निर्देश दे सकें। सेवा प्रदाता तथा वाहन चालकों को रामबन्धित रवास्थ्य इकाईयों के खिकित्सा अधीक्षक/प्रभारी खिकित्साधिकारी कार्यालय एवं नोडल अधिकारी का गोबाइल नम्बर दिया जाएगा, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उनसे राम्पर्क किया जा सके।
- 4 वाहन चालक की व्यवरणी द्वितीय पक्ष द्वारा की जाएगी एवं वाहन चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है, द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये गये वाहन चालक के लिये नियोक्ता द्वितीय पक्ष ही होगा, प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधित दायित्व नहीं होगा। द्वितीय पक्ष यह रुनिशित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करें। द्वितीय पक्ष का यह भी दायित्व होगा कि वह यह सुनिशित करें कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन का संचालन नहीं करें। ऐसा पाये जाने पर सुरक्षा निधि की राशि जबकि अनुवध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।
- 5- ऐसी को आवंटित इकाई पर प्रातः 8.00 बजे फैन्ड्र पर वाहन उपलब्ध कराने एवं खिकित्सक दल को भ्रमण रथल ले जाने एवं वापरा लाना होगा। इसके लिये कोई समय सीमा निर्धारित नहीं होगी। द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भुगतान हेतु देयक निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण विवरण एवं लॉगबुक के साथ आगामी माह की 5 तारीख तक प्रत्युत करने पर प्रथम पक्षकार द्वारा 10 दिवारा के अन्दर अर्थात् 15 तारीख तक भुगतान करना सुनिश्चित किया जाएगा।
- 6- वाहन की छोटी मोटी टूट फूट को तत्काल सुधारने की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को करनी होगी। बड़ी टूट फूट भी 24 घंटे के अन्दर सुधार कराने था वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा।
- 7- किरी प्रकार का तुकसान होने की रिथति में राम्पूर्ण वैधानिक दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। प्रथम पक्ष इसके लिये किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा।
- 8- विभिन्न रवास्थ्य कार्यक्रमों/योजनाओं के प्रवार सामग्री एवं साहित्य आदि का परिवहन एवं प्रदर्शन विभाग के निर्देशों के अनुरूप करना होगा।
- 9- द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं के समय-समय पर निरीक्षण करने/जानकारी प्राप्त करने का अधिकारी प्रथम पक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को होगा।
- 10-अनुवध के संबंध में कोई भी विवाद होने की रिथति में विवाद का निपटारा सम्बन्धित जनपद के न्यायालय में होगा तथा उनका निष्पाय दोनों पक्षों को गायत्री होगा।
- 11 द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने की रिथति में प्रथम पक्ष को यह अधिकारी होगा किवह द्वितीय पक्ष से इस संबंध में लिखित रपटीकरण मांग सकता है एवं रपटीकरण का जवाब संतोषजनक नहीं पाये जाने की रिथति में द्वितीय पक्ष को पन्द्रह दिन की सूचना देकर अनुवध समाप्त करने का अधिकारी होगा। तथा धरोहर राशि भी जबकि जारी राशि होगी।

स्थान: नौएडा, गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 01.04.2017

हस्ताक्षर (प्रथम पक्ष)

गवाह:- 1- Dr. Sanjeev Mishra (A.M)

Sanjeev Mishra

हस्ताक्षर (द्वितीय पक्ष)

मैसर्स, कृष्णा टूर एण्ड ड्रैवल्स

गॉव कुलेशरा, ग्रेटर नौएडा

गौतमबुद्धनगर

2. Bhaktam Singh (C.C.K)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

अनुबन्ध पत्र

प्रभाग पक्ष
द्वितीय पक्ष

मुख्य विकास अधिकारी, सदरस्य सचिव, जिला रवारश्य रामिति, जनपद गौतमबुद्धनगर
मुस्से, ओम नमः शिवाय दूर एण्ड ट्रैवल्स, गोव शाहपुर कलौं, जनपद युत्तन्दशहर
(राता प्रदाता)

यह अनुबन्ध मुख्य विकित्सा अधिकारी, सदरस्य सचिव, जिला रवारश्य समिति द्वारा राष्ट्रीय बाल रवारश्य कर्मिकम् एवं अनुश्रवण व मूल्यांकन कार्य हेतु आज दिनांक 01.04.2017 को जनपद गौतमबुद्धनगर में रांपादित किया गया। इस अनुबन्ध की अवधि दिनांक 01.04.2017 से दिनांक 31.03.2018 तक होगी।

1- द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष की ओर से जिला गौतमबुद्धनगर में सामुदायिक रवारश्य केन्द्र, दादरी पर कार्य

क- रांपालित करने हेतु जिन शर्तों के अधीन बाहन उपलब्ध करायें।

क- सेवा प्रदाता को प्रथम पक्ष की ओर से रांपालित केन्द्र के प्रभारी विकित्सा अधिकारी द्वारा रूपये 24990/- के दूर से भुगतान किया जाएगा; भाष में 25 दिवस (राजकीय अवकाशों को छोड़कर) से कम कार्य दिवस होने पर ₹ 1000/- प्रतिदिन की दर से भुगतान किया जाएगा।

ख- बाहन में निम्नलिखित सुदिधा अनिकाय होनी चाहिये-

- बाहन टैक्सी परगिट में पर्याप्त होना चाहिये।

- बाहन अनुबन्ध की स्थिति संगीत तर्फ के पूर्ण तक ला ही पंजीकृत होना चाहिये, इससे अधिक पुराना न हो।

- बाहन में प्राथमिक उपतार किट होना चाहिये।

- बाहन में पैट्रोल/डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरताया जाएगा।

- दुर्घटना होने पर बाहन एवं अन्य किरणों को किसी प्रकार की अतिक्रमण की अवधि एवं उसकी पूर्ति को समर्त जिम्मेदारी वीमा कर्मनी व द्वितीय पक्षकार की काँग्रेस्ट्रिव इन्स्योरेन्स के द्वारा मिलें।

ग- बाहन का पूर्ण वीमा पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण पत्र आदि होना अनियार्थ है।

घ- बाहन के संचालन एवं रख-रखात रांपालित समरत व्यवस्था पार्किंग शुल्क, टॉल टैक्स आदि द्वितीय पक्ष द्वारा बहन की किया जाएगा।

इ- बाहन को 24 घंटे चालू हालत में रखने एवं बाहन की राफ-सफाई व आवश्यक रख-रखाव द्वितीय पक्ष द्वारा किया जाएगा। नियमित जॉय हेतु बाहन को वर्कशॉप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को अन्य वैकल्पिक बाहन उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबन्ध की शर्तों के अनुरूप सेवा प्रदान नहीं करने की स्थिति में प्रथम

पक्ष को ₹ 1000/- प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा।

2- कार्य के सफल संचालन हेतु बाहन चालकों का नाम तथा मोबाइल नम्बर जिला मुख्यालय एवं सम्बन्धित केन्द्रों के कार्यालय में प्रदर्शित कराया जाएगा।

क्रमशः 2 पर.....

// 2 //

- 3- द्वितीय पक्ष वाहन चालक रो सम्पर्क करने हेतु उरो एक मोबाइल उपलब्ध करायेगा, जिससे स्वारश्य इकाई के अधिकारी उसे समय-समय पर कार्य निष्पादन करने हेतु निर्देश दे सकें। सेवा प्रदाता तथा वाहन चालकों को सम्बन्धित रवारश्य इकाईयों के चिकित्सा अधीक्षक/प्रभारी चिकित्साधिकारी कार्यालय एवं नोडल अधिकारी का मोबाइल नम्बर दिया जाएगा, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।
- 4- वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जाएगी एवं वाहन चालक के पास वैध ड्राइविंग लाईसेंस होना अनिवार्य है, द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये गये वाहन चालक के लिये नियोक्ता द्वितीय पक्ष ही होगा, प्रथम पक्ष नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करें। द्वितीय पक्ष का यह भी दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन का रांचालन नहीं करें। ऐसा पाये जाने पर सुरक्षा निधि की राशि जब्त कर अनुबंध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।
- 5- एजेन्सी को आवंटित इकाई पर प्रातः 8:00 बजे केन्द्र पर वाहन उपलब्ध कराने एवं चिकित्सक दल को भ्रमण रथल तक ले जाने एवं वापर लाना होगा। इसके लिये कोई समय सीमा निर्धारित नहीं होगी। द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को गुगलान हेतु देयक निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण विवरण एवं लॉगवुक के साथ अगामी गाह की 5 तारीख तक प्रस्तुत करने पर प्रथम पक्षकार द्वारा 10 दिवस के अन्दर अथोंत 15 तारीख तक भुगतान करना सुनिश्चित किया जाएगा। बड़ी टूट फूट भी 24
- 6- वाहन की छोटी मोटी टूट फूट को तत्काल सुधारने की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को करनी होगी। बड़ी टूट फूट भी 24 घंटे के अन्दर सुधार कराने या वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। प्रथम पक्ष इसके लिये किसी भी तरह रो जिम्मेदार नहीं होगा।
- 7- किसी प्रकार का नुकसान होने की रिस्ति में राम्पूर्ण वैधानिक दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा।
- 8- विभिन्न स्वारश्य कार्यक्रमों/थोजनाओं के प्रचार सामग्री एवं राहित्य आदि का परिवहन एवं प्रदर्शन विभाग के निर्देशों के अनुरूप करना होगा।
- 9- द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं के समय-समय पर निरीक्षण करने/जानकारी प्राप्त करने का अधिकारी प्रथम पक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को होगा।
- 10- अनुबंध के संबंध में कोई भी विवाद होने की रिस्ति में विवाद का निपटारा सम्बन्धित जनपद के न्यायालय में होगा तथा उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
- 11- द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने की रिस्ति में प्रथम पक्ष को यह अधिकारी होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस संबंध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है एवं स्पष्टीकरण का जवाब संतोषजनक नहीं पाये जाने की रिस्ति में द्वितीय पक्ष को पंद्रह दिन की सूचना देकर अनुबंध समाप्त करने का अधिकारी होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।

रक्तान्तर: नौएडा, गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 01.04.2017

हस्ताक्षर (प्रथम पक्ष)

हस्ताक्षर (द्वितीय पक्ष)
मैसर्स ओम नम: शिवाय दूर एण्ड ट्रैवल्स,
गॉल शाहपुर कलौं बुलन्दशहर